

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-124 / 2012

संस्थित दिनांक-28.02.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

सोहन पिता रामसिंह धुर्वे, उम्र 58 साल, जाति गोंड,

निवासी बासिनखार थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)— — — — — आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक - 13 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332, 353, 506(भाग-2) का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 04.02.2012 को शाम के 04:15 बजे ग्राम बासिनखार प्राथमिक शाला भवन के प्रांगण में थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादी राजेश कुमार मरकाम को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियारी राजेश कुमार मरकाम जो सहायक अध्यापक होकर लोक सेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्न हेतु हाथ (झांपड़) से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी के लोक सेवक की हैसियत से किये जाने वाले लोक कर्तव्य के निष्पादन में भयोपरत करने हेतु आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजेश कुमार मरकाम ने दिनांक 05.02.2012 को आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 04.02.2012 को बासिनखार स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गया था। शाम चार-पांच बजे सोहनसिंह धुर्वे आया और माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए जमीन हिस्सा/बंटवारा को लेकर विवाद करने लगा और कालर पकड़ कर झापड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी और जमीन पर पड़ी ईंट को उठाया जिससे वह भयभीत हो गया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 08/12 धारा 294, 332, 353, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332, 353, 506 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332, 353, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं फरियादी ने रंजिश वश उसके विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 04.02.2012 को शाम के 04:15 बजे ग्राम बासिनखार प्राथमिक शाला भवन के प्रांगण में थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादी राजेश कुमार मरकाम को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर

सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को जो सहायक अध्यापक होकर लोक सेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, इस आशय से कि आहत को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्नित हेतु हाथ (झापड़) से बाएं कंधे के नीचे मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर एक लोक सेवक सहायक अध्यापक था, को उसके लोक सेवक की हैसियत से किए जाने वाले लोक कर्तव्य के निष्पादन में भयोपरत करने हेतु उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

(4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जाने से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी / फरियादी राजेश कुमार मरकाम (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 04.02.2012 को वह बासिंगखार स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ था। करीबन 02:00 से 04:00 बजे बच्चों के अभिभावकों की मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग लगभग 04:00 बजे तक समाप्त हुई और वह स्कूल के प्रांगण में ही थे

उसी समय आरोपी सोहनसिंह रोड तरफ से आया और साले मादरचोद, तेरी माँ को चोदू, सामने बहन चोदू की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और उसकी कालर पकड़ लिया तथा बांये कंधे पर एक झापड़ मारा और स्कूल में पड़े ईट को मारने की लिए उठाया और कहने लगा कि जान से खत्म कर दूंगा। स्कूल बंद करके शाम को छुट्टी होने के बाद उसे ऐसा लगा कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता श्यामदेब डोंगरे (अ.सा. 5) का कहना है कि उसने दिनांक 05.02.2012 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी राजेश कुमार मरकाम की सूचना पर आरोपी सोहनसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/12 अन्तर्गत धारा 294, 332, 353, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। उसने आहत राजेश कुमार मरकाम का मुलाहिजा फार्म भरकर पी.एच.सी. (पब्लिक हेल्थ सेन्टर) मोहगांव भिजवाया था। मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी-15 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(09) फरियादी एवं कायमीकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर इडपाचे (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 05.02.2012 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये उसे अपराध क्रमांक 8/12 अन्तर्गत धारा 294, 332, 353, 506 भा.दं.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादी राजेश कुमार मरकाम के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने फरियादी राजेश कुमार मरकाम एवं गवाह भसोरीलाल, राकेश कुमार, कांटाबाई, अनिता के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 07.02.2012 को आरोपी सोहनसिंह से साक्षियों के समक्ष एक ईट का टुकड़ा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 के अनुसार जप्त किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। राजेश कुमार मरकाम दिनांक 04.02.2015 को शासकीय प्राथमिक शाला आसिनंखार में

अध्यापक के पद पर पदस्थ होते हुये 10:30 बजे से 04:30 बजे शैक्षणिक कार्य से उपस्थित था बाबद् प्रधान पाठक से प्रदर्श पी-06 का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस.उडके (अ.सा. 6) कहना है कि उसने दिनांक 05.02.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये आरक्षक सनुप सैयाम क्रमांक 732 के द्वारा आहत राजेश कुमार पिता बजारीलाल को मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के मुलाहिजा परीक्षण में कंधे पर एक कंटूजन जिसमें सूजन और लालिमा लिया हुआ होना पाया था जो उसे बोथरे और कड़े वस्तु से पहुंचाया जाना प्रतीत हो रही थी। चोट उसके परीक्षण के 12 से 24 घण्टे की अन्दर की अवधि की होना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(11) अभियोजन साक्षी कांटाबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-03 के कथन पुलिस को देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से एक ईट का टुकड़ा जप्त किया था।

(12) अभियोजन साक्षी भसोरी (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी सोहनसिंह ने फरियादी राजेश को गन्दी-गन्दी गालिया तथा ईट के टुकड़े को उठाकर फरियादी राजेश को जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 के ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि

पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सोहनसिंह से एक ईट का टुकड़ा जप्त किया था।

(13) अभियोजन साक्षी अनिता सेन (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी है। कांटाबाई उनके स्कूल के पालक संघ के पद पर पदस्थ थी। घटना के समय बच्चों की छुट्टी हो गई थी और राजेश भी घर जाने के लिए उसकी गाड़ी के पास चला गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने घटना दिनांक को राजेश कुमार शासकीय प्राथमिक शाला बासिनखार में 10:30 से 04:30 बजे तक अपने शैक्षणिक कार्य में उपस्थित था का प्रमाण पत्र दी थी, जो प्रदर्श पी-06 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-07 के ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिया जाना स्वीकार किया है।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। फरियादी ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराया है और असत्य कथन किए हैं जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी/फरियादी राजेश कुमार मरकाम (अ.सा. 1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 04.02.2012 को वह बासिंगखार स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ था। वह स्कूल के प्रांगण में ही थे उसी समय आरोपी सोनहसिंह रोड तरफ से आया और साले मादरचोद, तेरी माँ को चोदू, सामने बहन चोदू की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और उसकी कालर पकड़ लिया तथा बांये कंधे पर एक झापड़ मारा और स्कूल में पड़े ईट को मारने की लिए उठाया और कहने लगा कि जान से खत्म कर दूंगा। स्कूल बंद करके शाम को छुट्टी होने के बाद उसे ऐसा लगा कि शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो उसने घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखण्ड में दर्ज कराई, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर घटनास्थल का मौका

नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह स्कूल के बाहर था।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता श्यामदेब डोंगरे (अ.सा. 5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसने दिनांक 05.02.2012 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी राजेश कुमार मरकाम की सूचना पर आरोपी सोहनसिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/12 अन्तर्गत धारा 294, 332, 353, 506 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। उसने आहत राजेश कुमार मरकाम का मुलाहिजा फार्म भरकर पी.एच.सी. (पब्लिक हेल्थ सेन्टर) मोहगांव भिजवाया था। मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी-15 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(18) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर इडपाचे (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 05.02.2012 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये उसे अपराध क्रमांक 8/12 अन्तर्गत धारा 294, 332, 353, 506 भा.दं.वि. की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर फरियादी राजेश कुमार मरकाम के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने फरियादी राजेश कुमार मरकाम एवं गवाह भसोरीलाल, राकेश कुमार, कांटाबाई, अनिता के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 07.02.2012 को आरोपी सोहनसिंह से साक्षियों के समक्ष एक ईट का टुकड़ा जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 के अनुसार जप्त किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। राजेश कुमार मरकाम दिनांक 04.02.2015 को शासकीय प्राथमिक शाला आसिनखार में अध्यापक के पद पर पदस्थ होते हुये 10:30 बजे से 04:30 बजे शैक्षणिक कार्य से उपस्थित था बाबद् प्रधान पाठक से प्रदर्श पी-06 का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटनास्थल से स्कूल की दूरी 70 मीटर दूर है और फरियारी राजेश से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

(19) अभियोजन साक्षी डॉक्टर एल.एन.एस.उइके (अ.सा. 6) कहना है कि

उसने दिनांक 05.02.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहगांव में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये आरक्षक सनुप सैयाम क्रमांक 732 के द्वारा आहत राजेश कुमार पिता बजारीलाल को मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के मुलाहिजा परीक्षण में कंधे पर एक कंटूजन जिसमें सूजन और लालिमा लिया हुआ होना पाया था जो उसे बोथरे और कड़े वस्तु से पहुंचाया जाना प्रतीत हो रही थी। चोट उसके परीक्षण के 12 से 24 घण्टे की अन्दर की अवधि की होना प्रतीत हो रही थी। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(20) किन्तु अभियोजन साक्षी कांटाबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने प्रदर्श पी-03 के कथन पुलिस को देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से एक ईट का टुकड़ा जप्त किया था।

(21) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी भसोरी (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना के संबंध में उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी सोहनसिंह ने फरियादी राजेश को गन्दी-गन्दी गालिया तथा ईट के टुकड़े को उठाकर फरियादी राजेश को जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 के ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इन्कार किया। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी सोहनसिंह से एक ईट का टुकड़ा जप्त किया था।

(22) अभियोजन साक्षी अनिता सेन (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी है। कांटाबाई उनके स्कूल के पालक संघ के पद पर

पदस्थ थी। घटना के समय बच्चों की छुट्टी हो गई थी और राजेश भी घर जाने के लिए उसकी गाड़ी के पास चला गया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-07 का कथन देने से भी इन्कार किया है।

(23) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी राजेश (अ.सा. 1) कायमीकर्ता श्यामदेव डोंगरे (अ.सा. 5), विवेचनाकर्ता ज्ञानेश्वर इडपाचे (अ.सा. 7) एवं डॉक्टर एल.एन.एस.उडके (अ.सा. 6) तथा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 की विवेचना से आरोपी द्वारा दिनांक 04.02.2012 को शाम के 04:15 बजे ग्राम बासिनखार में राजेश कुमार मरकाम को थप्पड़ मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की यह तो परिलक्षित होता है। किन्तु आरोपी सोहन ने दिनांक 04.02.2012 को शाम के 04:15 बजे ग्राम बासिनखार प्राथमिक शाला भवन के प्रांगण में थाना मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादी राजेश कुमार मरकाम को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियारी राजेश कुमार मरकाम जो सहायक अध्यापक होकर लोक सेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्नित हेतु हाथ (झापड़) से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी के लोक सेवक की हैसियत से किये जाने वाले लोक कर्तव्य के निष्पादन में भयोपरत करने हेतु आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया। यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित होता नहीं होता है।

(24) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी सोहन ने दिनांक 04.02.2012 को शाम के 04:15 बजे ग्राम बासिनखार में राजेश कुमार मरकाम को थप्पड़ मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। किन्तु अभियोजन यह युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी सोहन ने दिनांक 04.02.2012 को शाम के 04:15 बजे ग्राम बासिनखार प्राथमिक शाला भवन के प्रांगण में थाना

मलाजखण्ड के अन्तर्गत फरियादी राजेश कुमार मरकाम को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियारी राजेश कुमार मरकाम जो सहायक अध्यापक होकर लोक सेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण से की गई प्रयत्नित हेतु हाथ (झापड़) से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी के लोक सेवक की हैसियत से किये जाने वाले लोक कर्तव्य के निष्पादन में भयोपरत करने हेतु आपराधिक बल का प्रयोग किया व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(25) परिणाम स्वरूप आरोपी सोहन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332, 353, 506(भाग-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है एवं आरोपी सोहन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(26) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(27) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(28) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।

(29) आरोपी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित

किया जावे।

(30) आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(31) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(32) आरोपी की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सोहन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के आरोप में 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(33) प्रकरण में जप्तशुदा ईट का टुकड़ा मूल्यहीन होने से विधिवत् अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(34) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)